



191515 - क्या वह अपनी उस पत्नी की ओर से कुर्बानी करेगा जिससे उसने विवाह किया है परंतु उससे एकांत में नहीं मिला है ?

---

प्रश्न

मैं ने विवाह किया है (अपनी पत्नी से अक्द-निकाह) किया है, लेकिन उसकी विदाई नहीं हुई है (अर्थात उससे एकांत में मिलाप नहीं हुआ है), तो क्या मेरे ऊपर उसकी ओर से कुर्बानी करना अनिवार्य है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

उत्तर :

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

कुर्बानी इस्लाम के अनुष्ठानों और प्रतीकों में से एक प्रतीक है, यह उसकी ताकत रखने वाले व्यक्ति के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। चुनांचे इन्सान अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से कुर्बानी करेगा।

तथा फायदा के लिए प्रश्न संख्या : (36432) का उत्तर देखें।

तथा प्रश्न संख्या : (36387) के उत्तर में गुज़र चुका है कि यदि आदमी अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से कुर्बानी करता है तो उसमें उसके घर वालों में से जिसकी भी उसने नीयत की है दाखिल हो जाते हैं, जैसे उसकी बीवी और बच्चे वगैरह, चाहे वह ज़िन्दा हों या मुर्दा।

तथा शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

"आदमी अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से एक जानवर की कुर्बानी करेगा, और वह ज़िन्दा व मुर्दा सबको सम्मिलित होगी। यही सुन्नत है।"

फतावा "नूरून अलद-दर्ब" से समाप्त हुआ।

एक जानवर की कुर्बानी आदमी और उसके घर वालों की तरफ से काफी है, उनकी संख्या चाहे कितनी भी हो, उसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह अपनी ओर से और हर उस व्यक्ति की ओर से जिसकी ओर से वह कुर्बानी करना चाहता है, अलग-



अलग जानवर ज़बह करे।

जिस स्त्री से अक़द-निकाह किया गया है, वह पत्नी है। अतः वह कुर्बानी करने वाले के घर-परिवार वालों में से है, और उसके लिए उसकी तरफ से एक अलग कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है।

यदि उस औरत के पिता ने अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से कुर्बानी कर दी, तो वह उसकी ओर से काफी होगी, क्योंकि वह अभी उसकी के पास है, और उसका खर्च उसी के ऊपर है।

इस बारे में मामला के अंदर विस्तार है, और सर्व प्रशंसा अल्लाह के लिए है।